

कार्यालय कलेक्टर (समाज कल्याण) जिला बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स.क./2017/ 1342
प्रति,

बिलासपुर, दिनांक 06/07/2017

1. अपर संचालक
उच्च शिक्षा, बिलासपुर
2. संयुक्त संचालक क्षेत्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं बिलासपुर
3. सहायक आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग
जिला बिलासपुर (छ0ग0)
4. प्राचार्य,
शास. इंजिन्यरिंग कॉलेज बिलासपुर (छ0ग0)
5. कुलसचिव,
गुरुघासीदास विश्व विद्यालय बिलासपुर (छ0ग0)
6. कुलसचिव,
बिलासपुर विश्व विद्यालय बिलासपुर (छ0ग0)
7. अधीष्ठाता, सिम्स
सिम्स, बिलासपुर (छ0ग0)
8. जिला शिक्षा अधिकारी
जिला बिलासपुर (छ0ग0)

विषय :- "क्षितिज अपार संभावनाएं" अन्तर्गत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय योजना।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण रायपुर का पत्र क्र./एफ3-15/2016/स.क./26 दिनांक 3.11.2016.

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा "क्षितिज अपार संभावनाएं" अन्तर्गत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किये जाने संबंधी निर्देश प्राप्त हुए हैं। सहज संदर्भ हेतु निर्देश की प्रति संलग्न कर प्रेषित है जिसमें दिये गये निर्देशानुसार निम्न छात्र/छात्राओं को लाभ दिया जाना है :-

1. जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2000/- एकमुश्त।
2. जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5,000/- एकमुश्त।
3. आई.टी.आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/- रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
4. चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/- रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।

तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित दिव्यांग छात्र/छात्राओं को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन करना है। ऑनलाईन आवेदन www.sw.cg.gov.in में उपलब्ध है। अतः निर्देशानुसार समय सीमा में कार्यवाही करना सुनिश्चित करे एवं वर्ष 2016-17 की परीक्षा परीणाम में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले नियमित दिव्यांग छात्र/छात्राओं की सूची 7 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार निर्देश की प्रति।

कलेक्टर

जिला बिलासपुर (छ0ग0)

पृष्ठा: क्रमांक/स.क./2017/1343
प्रतिलिपि:-

बिलासपुर, दिनांक 6/07/2017

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग रायपुर को संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।



कलेक्टर

जिला बिलासपुर (छ0ग0)

05
02/01/17


छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 3-15/2016/सक/26.

नया रायपुर, दिनांक 03/11/2016

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, छत्तीसगढ़
3. समस्त संयुक्त/उप संचालक
समाज कल्याण, छत्तीसगढ़
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़
5. सहायक आयुक्त
जिला कार्यालय
आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग
6. समस्त आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर पंचायत, छत्तीसगढ़



सक
विषय :-

“क्षितिज-अपार संभावनाएं” अंतर्गत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय योजना।

संयुक्त संचालक
समाज कल्याण जिला बिलासपुर
4/11/17

—000—

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं निःशक्तता के कारण मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्यार्थियों

एवं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाना है। योजना की पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार होगी -

1. योजना हेतु पात्रता :-

- 1.1 40% या उससे अधिक के निःशक्तजन।
- 1.2 आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
- 1.3 जिला अन्तर्गत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में निःशक्तजनों की श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हो। अथवा
- 1.4 आई. टी. आई./पोलिटैक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) में नियमित विद्यार्थी। अथवा
- 1.5 चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी।

2. दिये जाने वाले लाभ :-

- 2.1 जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2000/- एकमुश्त।
- 2.2 जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5,000/- एकमुश्त।
- 2.3 आई. टी. आई./पोलिटैक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला , वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/-रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
- 2.4 चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/- रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।

3. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

- 3.1 माध्यमिक परीक्षा एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त व्यक्तियों को पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3.2 छत्तीसगढ़ राज्य में मान्यता प्राप्त विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के उपरांत बोर्ड द्वारा जारी अंतिम प्रावीण्य सूची के आधार पर चयन किया जावेगा।
- 3.3 विभिन्न बोर्ड से अंतिम प्रावीण्य सूची जारी होने के उपरांत संयुक्त/उप संचालक जिला कार्यालय समाज कल्याण अपने जिले के उत्तीर्ण निःशक्तजनों की सूची प्राप्त कर एकीकृत प्रावीण्य सूची तैयार करेंगे एवं दावा आपत्ति प्राप्त करेंगे।



3.4 आई. टी. आई., पोलिटेक्निक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान), चिकित्सा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि हेतु आनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन www.sw.cg.gov.in में उपलब्ध है।

3.5 आवेदन ऑनलाइन नहीं कर पाने की स्थिति में आवश्यक अभिलेख के साथ ऑफलाइन आवेदन संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय का दायित्व होगा कि वे ऑनलाइन प्रविष्ट करें। ऑफलाइन आवेदन प्रारूप—एक अनुसार है।

3.6 निःशक्तजनों को निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3.7 सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करते समय उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

3.8 आई. टी. आई., पोलिटेक्निक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान), चिकित्सा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि हेतु महाविद्यालय/संस्था के प्राचार्य/प्रमुख से नियमित छात्र होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3.9 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों को उतने ही वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी जितने वर्ष का पाठ्यक्रम हो।

4. स्वीकृति की प्रक्रिया :-

4.1 संयुक्त/उप संचालक समाज कल्याण, जिला कार्यालय अपने जिले के उत्तीर्ण निःशक्तजनों की एकीकृत प्रावीण्य सूची प्राप्त कर जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। जिला स्तरीय समिति में निम्न सदस्य होंगे -


1. कलेक्टर द्वारा नामांकित प्रतिनिधि - अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी - सदस्य
4. संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण - सदस्य सचिव

4.2 चयन समिति द्वारा चयनित सूची का प्रकाशन कर दावा आपत्ति प्राप्त किया जावेगा। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण कर कलेक्टर के अनुमोदन से अंतिम सूची प्रकाशित किया जाएगा।

- 4.3 संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय उक्त कार्यवाही बोर्ड द्वारा अंतिम प्रावीण्य सूची जारी करने के उपरान्त 30 दिवस के अन्दर पूर्ण करेंगे।
- 4.4 प्रतिवर्ष समारोह पूर्वक सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त व्यक्तियों को सहायता राशि का चेक प्रदान किया जावेगा।
- 4.5 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् नियमित छात्रों से सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों पर संयुक्त/उप संचालक समाज कल्याण, जिला कार्यालय आनलाइन परीक्षण कर कलेक्टर की सक्षम स्वीकृति ली जावेगी।
- 4.6 आवेदनों के अपूर्ण होने की स्थिति में संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय शीघ्र पूर्ण कराएंगे।
- 4.7 संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय को प्राप्त आवेदन में स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा, किन्तु संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय के लिए आवश्यक होगा कि कोई आवेदन अस्वीकृत करने की दशा में समुचित कारणों का भी उल्लेख करें।
- 4.8 स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को पंजीकृत आवेदन-पत्र पर आवेदन कार्यालय में प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 30 दिवस के भीतर निर्णय लेकर आवेदक को सूचित करना आवश्यक होगा। स्वीकृत या अस्वीकृत करने संबंधी निर्णय की सूचना आवेदक को दी जावेगी।

5. **आबंटन प्रक्रिया :-**

- 5.1 राज्य द्वारा संयुक्त/उप-संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण को आबंटन जारी किया जायेगा।
- 5.2 संयुक्त/उप-संचालक, जिला कार्यालय समाज कल्याण द्वारा आबंटन प्राप्त होते ही उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् नियमित छात्रों के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन राशि संबंधित निःशक्त विद्यार्थियों के व्यक्तिगत खाते में अंतरित की जावेगी एवं इसकी जानकारी एस. एम. एस. के माध्यम से प्रेषित की जावेगी।
- 5.3 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् नियमित छात्रों के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन राशि दो किशतों की जारी की जावेगी, प्रथम किशत शिक्षा सत्र के प्रारंभ में जारी की जावेगी तथा द्वितीय किशत शिक्षा सत्र के अर्धवार्षिक पूर्ण होने के पश्चात जारी किया जाएगा।
- 5.4 कक्षा दसवीं एवं कक्षा बारहवीं में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त व्यक्तियों के लिए चयन उपरांत चेक जारी कर समारोह में वितरित की जावेगी।



5.5 आनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर में आबंटन की जानकारी ऑनलाइन अपडेट किया जावेगा।

6. भुगतान प्रक्रिया :-

- 6.1 आवेदक को आवेदन के समय ही अपने बैंक/पोस्ट आफिस खाता क्रमांक की जानकारी आई.एफ.एस. सी कोड सहित उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- 6.2 उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित छात्रों के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन राशि सीधे संबंधित के खाते में अंतरित की जाएगी। यथासंभव प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान किया जावे।
- 6.4 प्रत्येक संयुक्त/उप संचालक जिला कार्यालय समाज कल्याण संलग्न प्रारूप-दो के अनुसार प्रोत्साहन राशि वितरण का विवरण रजिस्टर में संधारित करेंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जिनको सहायता राशि स्वीकृत की गई है, का पूर्ण ब्योरा होगा और ऐसे विद्यार्थियों को कितना व किस माध्यम से भुगतान किया जा रहा है, उसका उल्लेख भी होगा।
- 6.5 यदि कोई विद्यार्थी महाविद्यालय/संस्था का त्याग कर दिया है या लगातार तीन माह या इससे अधिक अवधि तक महाविद्यालय/संस्था में उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे विद्यार्थियों का आगामी किश्त का भुगतान रोक दिया जावेगा तथा छात्र/छात्रा का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एवं समुचित कारण होने पर संस्था प्रमुख/प्रधान पाठक/प्राचार्य के लिखित अनुमोदन प्राप्त करके ही प्रोत्साहन का भुगतान पुनः जारी किया जा सकेगा।
- 6.6 संस्था प्रमुख/प्रधान पाठक/प्राचार्य की यह जिम्मेदारी होगी कि निःशक्त विद्यार्थी के शाला त्याग करने अथवा लगातार तीन माह या इससे अधिक अवधि तक महाविद्यालय/संस्था में उपस्थित नहीं होने पर संयुक्त/उप संचालक जिला कार्यालय, समाज कल्याण को सूचित करें।
- 6.7 ऑनलाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर पर भुगतान की जानकारी प्रत्येक माह अपडेट की जाएगी।

6. अभिलेखों का संधारण :-

- 6.1 संयुक्त/उप संचालक, समाज कल्याण, जिला कार्यालय आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का पंजीयन तथा स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में विवरण का पृथक रजिस्टर प्रारूप-तीन अनुसार संधारित करेंगे। प्रतिवर्ष सर्वाधिक अंक पाने वाले प्रथम 10 निःशक्त व्यक्तियों की प्रावीण्य सूची वर्षवार पृथक रजिस्टर में प्रारूप-पांच अनुसार संधारित किया जावे।

57

- 6.2 संयुक्त/उप-संचालक, समाज कल्याण प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ को दिसम्बर अन्त की स्थिति में 5 जनवरी तक उपलब्ध कराएंगे तथा प्रतिवर्ष निःशक्तजनों की प्रावीण्य सूची संचालनालय को उपलब्ध कराएंगे।
- 6.3 संयुक्त/उप-संचालक, समाज कल्याण उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् नियमित छात्रों के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का मासिक प्रतिवेदन प्रतिमाह 10 तारीख तक प्रारूप- चार में संचालनालय को उपलब्ध कराएंगे।

7. विविध :-

- 7.1 वह व्यक्ति जिसे सहायता राशि स्वीकृत की गई हो, उस रकम को अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेगा।
- 7.2 किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, समाज कल्याण, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक एफ-2016-26-00172/ब-1/ चार, दिनांक 22.09.2016 द्वारा प्रदान की गई है।

(सोनमणि बोरा)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग


रायपुर, दिनांक 03/11/2016

पृ.क्रमांक एफ 3-15/2016/सक/26,

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
2. निज सहायक, माननीय संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
3. मुख्य सचिव महोदय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया मंत्रालय रायपुर को सूचनार्थ।

7. सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर को सूचनार्थ। कृपया अंतिम मेरिट सूची जारी होने के उपरांत जिलेवार निःशक्त व्यक्तियों की अधिकृत मेरिट सूची विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग को सूचनार्थ।
9. संचालक, समाज कल्याण, संचालनालय, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।



सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

प्रारूप-1

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय योजना हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का फोटो

आवेदन पत्र क्रमांक	<input type="text"/>
आवेदन दिनांक	<input type="text"/>
*1. निःशक्तता पंजीयन क्रमांक	<input type="text"/>
*2. आवेदन का प्रकार	नवीन <input type="checkbox"/> नवीनीकरण <input type="checkbox"/>
*3. कक्षा	<input type="text"/>
संस्था/शाला/महाविद्यालय का नाम	<input type="text"/>
*4. आवेदक का नाम	
*प्रथम नाम	<input type="text"/>
मध्य नाम	<input type="text"/>
उपजाति/सरनेम	<input type="text"/>
*5. पिता/अभिभावक का नाम	<input type="text"/>
*6. आवेदक/अभिभावक का पता	
मकान नं./ग्राम,	<input type="text"/>
गली/पोस्ट आफिस	<input type="text"/>
तहसील	<input type="text"/>
जिला	<input type="text"/>
पिन कोड	<input type="text"/>
मोबाइल नम्बर	+9 1 <input type="text"/>
*7. लिंग	पुरुष <input type="checkbox"/> महिला <input type="checkbox"/> तृतीय लिंग के व्यक्ति <input type="checkbox"/>
*8. जन्मतिथि	<input type="text"/>
*9. उम्र	<input type="text"/> वर्ष/माह/दिन

*10. वर्ग : अजा अजजा अपिव सामान्य

*11. अल्पसंख्यक : हां नहीं

*12. निःशक्तता का प्रकार :

*13. निःशक्तता का प्रतिशत :

*14. आधार कार्ड नम्बर :

*15. भुगतान का तरीका : बैंक पो.आ.

बैंक/पोस्ट आफिस का नाम :

शाखा का नाम :

खाता क्रमांक :

आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड :

16. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

क्र.	प्रपत्र	जारी दिनांक	जारीकर्ता
1.			
2.			
3.			
4.			

—:घोषणा पत्र :-

मैं श्री/श्रीमती/कुमारीपिता/पति.....
.....निवासीसत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि ऊपर बताई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो शासन नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी)

कारण टीप के साथ :

अनुमोदनकर्ता का टीप :

(अनुमोदनकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम :

पदनाम : संस्था प्रमुख

प्राप्त आवेदन - पत्र की अभिस्वीकृति

श्री/कुमारीपता.....
..... का आवेदन पत्र आज दिनांकको
.....कार्यालय में छात्रवृत्तित्त के
लिए मैं प्राप्त हुआ।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
एवं नाम व पद मुद्रा

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय योजना हेतु आवेदन-पत्रों का पंजीयन रजिस्टर

क्र.	आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक	आवेदक का पूरा नाम व पता	वर्ग अ.जा./अ.ज. जा./पिछड़ा वर्ग/सामान्य	लिंग
1	2	3	4	5

उम्र	संवर्ग जिसके लिए आवेदन किया गया है	संस्था/शाला/महाविद्यालय द्वारा संयुक्त/उप संचालक को प्रेषण करने का दिनांक	स्वीकृत/अस्वीकृत	आदेश क्र. व दिनांक
6	7	8	9	10

स्वीकृति की स्थिति का विवरण		यदि अस्वीकृत हो तो अस्वीकृति का कारण	प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व सील
तिथि/माह जब से स्वीकृत की गई	प्रोत्साहन राशि		
11	12	13	14

नोट- उपरोक्त प्रारूप में संबंधित संस्था/शाला/महाविद्यालय भी पंजीयन रजिस्टर संधारित करेंगे।